भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5165

(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर के लिए)

डिजिटल उपकरणों का अधिरोपण

5165. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार का कार्मिक प्रबंधन नीतियों के लिए केंद्रीय अभिकरण के रूप में डीओपीटी की भूमिका के दृष्टिगत, उचित परामर्श या निर्धारित मानदण्डों का पालन किए बिना सरकारी कर्मचारियों पर स्लैक जैसे विशिष्ट डिजिटल उपकरणों का अधिरोपण किए जाने के संबंध में क्या दृष्टिकोण है; और

(ख) सरकार द्वारा सेवा दिशानिर्देशों के ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या उपाय लागू किए जा रहे हैं साथ ही डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और कर्मचारी स्वायत्तता से संबंधित उपाय क्या हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): भारत सरकार की नीतियां, देश में उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। इस संदर्भ में, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा की गई प्रमुख नियामक पहलें विधिक ढांचे को सुदृढ़ करने, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा अवसंरचना को बढ़ाने तथा व्यक्तियों और संगठनों के मध्य जागरुकता को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्लैक जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग से संबंधित कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

*****